न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 188/2015 निर्णय दिनांक :–03.10.19

उनवानी दावा :

घीसा पुत्र मूला गुर्जर जाति गुर्जर निवासी सारदड़ा, तहसील देवली जिला–टोंक राज0

– वादी –

बनाम

1. भवरंलाल पुत्र श्री गोकुल जाति गुर्जर निवासी सारदड़ा, तहसील देवली जिला–टोंक राज0
2. जगदीश पुत्र श्री पांचू गुर्जर जाति गुर्जर निवासी सारदड़ा, तहसील देवली जिला–टोंक राज0
3. बालू पुत्र श्री हरचन्दा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी सारदड़ा, तहसील देवली जिला–टोंक राज0
4. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री आर.एन.तुनगारिया
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 3/1 ता 3/4
पेरोकार सरकार

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज
धारा 88, 209 आरटीएक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 3 की सुंयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 813 रकबा 2.72 है0, वाके ग्राम सारदड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान जिसके साबिक खसरा नम्बर 544 रकबा 11 बीघा है। उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रविवादी नं. 1 ता 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा है। उक्त हिस्से अनुसार काबिज होकर वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 3 काश्त करते चले आ रहे है। दौराने सेटलमेंट उक्त आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 544 के नये खसरा नम्बर 813 बनाते समय वादी के पिता मूला के बजाय भवंरलाल इन्द्राज कर दिया गया जबकि वादी के पिता का सही नाम मूला ही है। जिसका इन्द्राज भू प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक के कॉलम नं. 25 में भी इन्द्राज है। परन्तु सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के चलते बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही वादी के पिता का नाम मूला के बजाय भवंरलाल इन्द्राज कर दिया गया है को सही नाम मूला का इन्द्राज करवाने के लिए यह दुरूस्तीकरण का वाद पेश है। आराजी खसरा नम्बर 813 रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम सारदड़ा, तहसील देवली में वादी के पिता का नाम भंवरलाल के बजाय मूला इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकार्ड का दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। यदि वादी के पिता का नाम दुरूस्ती कर सही नहीं किया गया तो वादी को अपनी ही भूमि में अपने अधिकारों का उपयोग, उपभोग करने में परेशानी उत्पन्न होगी तथा हो

रही है। बिनाया दावा हाल ही उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी उक्त भूमि में अपने पिता का नाम भवंरलाल के बजाय सही नाम मूला इन्द्राज कराने के लिए कई प्रयास किये परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा कोई सुनवाई नहीं करने के कारण उत्पन्न हुआ तथा यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि में वादी का हिस्सा प्रतिवादी नं. 5 के हक में रहन होने से प्रतिवादी नं. 5 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी नं. 1 ता 3 सह खातेदारों में से पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी नं. 4 लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादित आराजी ग्राम सारदड़ा तहसील देवली में स्थित होने से श्रीमान के क्षैत्राधिकारी में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को सुनने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीएक्ट के तहत उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 3/1 ता 3/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री पारस कुमार जैन ने वकालतनामा पेश किया परन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया और अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार की ओर से जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। अतः पत्रावली में तनकियात की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श करवाये। प्रदर्श–1 जमाबन्दी संम्वत 2069–72 खाता संख्या 134, प्रदर्श–2 भू–प्रबन्ध का खसरा पत्रक पेश किये है तथा साथ ही राशन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक ख. नं. 544 रकबा 11 बीघा के सेटलमेन्ट के दौरान नये ख. नं. 813 बनाते समय वादी के पिता का नाम मूला के बजाय भंवरलाल इन्द्राज कर दिया गया जबकि वादी के पिता का सही नाम मूला है। इस बाबत अन्य सहखातेदारो ने भी कोई आपति पेश नहीं की है। अतः वाद वादी डिक्री किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी अपने वाद में अपने पिता का नाम घीसा पुत्र भंवरलाल के स्थान पर घीसा पुत्र मूला करवाना चाहता हैं। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–2 भू–प्रबन्ध का खसरा पत्रक सम्वत 2039 पेश किया है जिसमें कॉलम संख्या 25 में मूला, हरचंदा दर्ज है और कॉलम 23 में घीसा पुत्र भंवरलाल अंकित है। वादी ने इनके अलावा राशन कार्ड व आधार कार्ड भी पेश किया है जिसमे वादी के पिता का नाम मूला राम अंकित है। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए सेटलमेन्ट से पूर्व के दस्तावेज पेश नहीं किये है जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि वाद के पिता का नाम मूला ही अंकित था। अतः साबिक राजस्व रिकॉर्ड के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली